

प्रेषकः

एस० एन० शुक्ला,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
खीरी कन्नौज, बदायूँ कानपुर देहात, एवं, बहराइच।

राजरव अनुभाग-१०

लखनऊ: दिनांक: २५ जून २००९

विषय: वर्ष २००९-१० में दैवी आपदा राहत कार्यों हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष २००८-०९ एवं वर्ष २००९-१० में दैवी आपदा राहत कार्यों हेतु कुल धनराशि रु० 1,35,47,456./- (रूपये एक करोड़ पैंतीस लाख सेतालिस हजार चार सौ छप्पन मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	जनपद का नाम	वर्ष	मद	जिलाधिकारी का पत्र संख्या एवं दिनांक	आवंटित धनराशि (रूपये में)
1	खीरी	२००८-०९	कृषि निवेश अनुदान	१३/ओलावृष्टि-फसल क्षति-धनावंटन/ दै०आ०लि०, दिनांक ११.०६.२००९	५४७४५६
2.	कन्नौज	२००९-१०	गृह अनुदान /कृषि निवेश अनुदान	६९२/सी०आ०र०ए०-दै०आ०- आवंटन, दिनांक १०.०६.२००९	३००००००
3.	बदायूँ	२००९-१०	दैवी आपदा राहत कार्य	१७४५/तीन-संग्रह(आपदा), दिनांक ०६.०६.२००९	३००००००
4.	कानपुर देहात	२००९-१०	दैवी आपदा राहत कार्य	२७१/सी०आ०र०ए०-दै०आ०/ ०९-१०, दिनांक ११.०६.२००९	२००००००
5.	बहराइच	२००९-१०	दैवी आपदा राहत कार्य	४४२३/तेरह-आपदा-आवंटन -०९, दि० २७.०५.२००९	५००००००
योग :					१३५४७४५६

allotment-09

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता वितरण करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-जी0आई0-134/1-11-2007-46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 में जहाँ राहत प्रदान करने के लिये मानक निर्धारित हैं, उन मदों में आवश्यकता अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाय कि आपदा राहत निधि की धनराशि व्यय केवल दैवी आपदाओं-अग्निकाण्ड, भूस्खलन, बादल फटने, हिम स्खलन, चकवात, सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आकरण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त व्यय की जाय। सामान्य दुर्घटनाओं-सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटित घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय प्रस्तर-3 में संदर्भित शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 07 के साथ संलग्न भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित एवं अह मानकों मदों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। शासनादेश संख्या-4464 / 1-10-2008- 14(45) / 2003, दिनांक 24 सितम्बर, 2008 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले ₹0 2000/-तक की धनराशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा ₹0 2000/-से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष में दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा। दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों एवं फसलों हेतु गृह अनुदान एवं कृषि निवेश अनुदान की धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि क्षतिग्रस्त मकानों एवं फसल क्षति की सर्वे रिपोर्ट शासन को अनिवार्य रूप से एक सप्ताह में उपलब्ध करा दिया जाय।

जनपद खीरी में वर्ष 2008-09 में दिनांक 25.03.2009 को हुयी ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत या इससे अधिक फसल क्षति से प्रभावित लघु एवं सीमांत कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरण हेतु आवंटित की जा रही है। अतः उक्त धनराशि को केवल लघु एवं सीमांत कृषकों में ही वितरित किया जाय।

6. राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रगाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाय।

7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की पांच तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा—जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या—1693/1-11-2005—रा०—११, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट पर www.rahat.up.nic.in/rahat.2.html पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2010 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग—१ के प्रस्तर—३६९ एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या—४२ आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,


(एस० एन० शुक्ला)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या - (1) / 1-10-2009-12(72) / 2009, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ, कानपुर, बरेली व देवीपाटन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, खीरी कन्नौज, बदायू, कानपुर देहात, एवं, बहराइच।
5. वित्त व्यव नियन्त्रण अनुभाग-5
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/बजट सहायक राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
7. चालू वित्तीय वर्ष 200-10 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
2-10-2009
(राजन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव।

